

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO Court Raini

मुकाम

मौली

बनाम

गिरधारी

3/20/18

नं

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुये

15/4/21 पत्रावली पेश हुई। कुलुय उप०।
पत्रावली में रि० 24/3/21 को बहस
सुनी जा चुकी है। पत्रावली को अक्लोज
व बहस पर मनन किया। शर्मा
एव IS CPC का स्वीकार किया जाता
है तथा आदेश दिनांक 25.04.2011
में दिये गए आदेश को बहाल किया जाता
है एवं आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय
के पूर्व निर्णय व फर्दी डि० दिनांक 09.05.08
व फर्दी डि० वाद सं० 1/264/97 में वादी की
0.81 है० रकबा जिसका वादी को स्वतंत्र
द्वेष किया है की पूर्ति गत व हाल नमूना
में मिलान कर प्रतिवादी की आ० रक० नं० 3445,
3492, 3493, 3518 वकै रैणी में से कम कर
के पूरा किया जावे। पत्रावली केसल
सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद
पूर्ति दाखिल दफ्तर है।

SDO Raini

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर